न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 49/17

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रार्थी

बनाम

सतीश चन्द पुत्र राकेश जाति छीपी निवासी खेडा तहसील धौलपुर

----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

उपस्थितिः– श्री गोपाल नरायन शर्मा एडवोकेट पैरोकार सरकार
श्री सतीश चन्द स्वयं प्रार्थी

निर्णय दिनांक – 01.05.18

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 196 रकवा 7 विश्वा किस्म चा0प्र0 बाके ग्राम भिलगवां तहसील धौलपुर अप्रार्थी सतीश चन्द पुत्र रमेश की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 196 रकवा 7 विश्वा पर मा0 शारदे शिक्षा समति खेडा स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत सरानी खेडा में पेश हुयी। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई जबाव पेश नहीं किया गया तथा मौखिक

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

रूप से स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा विवादित आराजी पर विद्यालय बनाया जाकर अकृषि प्रयोजन कर लिया है। उनके द्वारा भूमि रूपान्तरण नहीं कराया गया है। प्रार्थी से बिना रूपान्तरण कराये भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग करने का कारण पूछने पर कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे पाया। पत्रावली के अवलोकन से संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 196 रकवा 7 विश्वा ग्राम भिलगवां पर खातेदार सतीश चन्द के द्वारा पक्का निर्माण कर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय में 500 के लगभग विद्यार्थी हैं। पत्रावली में संलग्न जमावन्दी ग्राम भिलगवां सम्वत् 2071–74 के अनुसार खसरा नम्बर 196 रकवा 7 विश्वा का सतीश चन्द पुत्र रमेश जाति छीपी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा सम्वत् 2071–74 ग्राम भिलगवां के अनुसार खसरा नम्बर पडत दर्ज रिकार्ड हैं।

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 196 रकवा 7 विश्वा ग्राम भिलगवां के खातेदार काश्तकार सतीश चन्द द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 196 रकवा 7 विश्वा ग्राम भिलगवां तहसील धौलपुर पर खातेदार सतीश चन्द पुत्र रमेश चन्द जाति छीपी निवासी खेडा तहसील धौलपुर के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत बसई सामन्ता में सुनाया गया।

(ओ0पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर